



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266341
CG-DL-E-24092025-266341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4177]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4177]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4295(अ).— - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(क) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नया एनएच 58) (फतेहपुर-पाली खण्ड) के 39.900 कि.मी. से 41.100 कि.मी तक के मिसिंग लिंक खण्ड का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और इनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के चूरु जिले की सुजानगढ़ तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नया एनएच 58) (फतेहपुर-पाली खण्ड) के 39.900 कि.मी. से 41.100 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: चूरु		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सुजानगढ़					
गांव का नाम: पार्वतीसर					
1	1026/805	सरकारी	बा. अब्बल	0.0065 (हेक्टेयर)	0.0065
2	1027/805	निजी	बा. अब्बल	0.0099 (हेक्टेयर)	0.0099
3	607/601	निजी	गै.मु. आवासीय	0.1718 (हेक्टेयर)	0.1718
4	623/603	निजी	गै.मु. आवासीय	0.0886 (हेक्टेयर)	0.0886
5	624/603	निजी	गै.मु. आवासीय	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
6	625/604	निजी	गै.मु. वाणिज्यिक	0.0993 (हेक्टेयर)	0.0993
7	779/211	निजी	बा. अब्बल	0.0424 (हेक्टेयर)	0.0424
8	801/573	निजी	बा. अब्बल	0.2941 (हेक्टेयर)	0.2941
9	803/608	निजी	बा. अब्बल	0.2061 (हेक्टेयर)	0.2061
गांव का नाम: गुडाबरी					
10	2022/202	निजी	बा. अब्बल	0.1993 (हेक्टेयर)	0.1993
11	2196/201	निजी	बा. अब्बल	0.1605 (हेक्टेयर)	0.1605
Total					1.2911

[फा. सं. 12012/1/2006-PS-4/RJ/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4295(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Missing Link with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (New NH-58), in the stretch of land of from km 39.900 to Km 41.100 (Fatehpur - Pali Section) in the district of Churu in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every, such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Magistrate, Sujangarh, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 39.900 to Km 41.100 (Fatehpur - Pali section) of the National Highway No. 65 (New NH-58), in Sujangarh Tehsil of Churu District in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: CHURU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sujangarh					
Village: Parwatisar					
1	1026/805	Government	Ba. Abbai	0.0065 (Hectare)	0.0065
2	1027/805	Private	Ba. Abbai	0.0099 (Hectare)	0.0099
3	607/601	Private	Gairmumkin Residential	0.1718 (Hectare)	0.1718
4	623/603	Private	Gairmumkin Residential	0.0886 (Hectare)	0.0886
5	624/603	Private	Gairmumkin Residential	0.0126 (Hectare)	0.0126
6	625/604	Private	Gairmumkin Commercial	0.0993 (Hectare)	0.0993
7	779/211	Private	Ba. Abbai	0.0424 (Hectare)	0.0424
8	801/573	Private	Ba. Abbai	0.2941 (Hectare)	0.2941
9	803/608	Private	Ba. Abbai	0.2061 (Hectare)	0.2061

Village: Gudabari					
10	2022/202	Private	Ba. Abbal	0.1993 (Hectare)	0.1993
11	2196/201	Private	Ba. Abbal	0.1605 (Hectare)	0.1605
Total					1.2911

[F. No. 12012/1/2006-PS-4/RJ/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director